न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/143/2018

प्रवेश तिथि 19.07.2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री शुभराम पुत्र रामचन्द्र निवासी–ग्राम व पोस्ट–कारोड़ा, तहसील–बहरोड़ जिला–अलवर (राज0)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः **23.08.2018**

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.06.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से "प्रभारी अधिकारी कोर्ट प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांकः कोर्ट/2017/442 दिनांकः 17.08.17 एवं अन्यादि के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत" सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 04.06.2018 में वांछित सूचनायें नही मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 17.07.2018 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/684–82 दिनांकः 19.07.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 02.08.18 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 768–69 दिनांकः 02.08.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त नोटिसेज की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 04.06.18 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी

द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नही कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की पालना के प्रति प्रत्यर्थी की लापरवाही, अकर्मन्यता एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति दर्शाता है।

8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उक्त अपील प्रकरण में बार-बार जारी नोटिसों के बावजूद प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति व जवाब प्रेषित नहीं करने के लिए जिला कलक्टर महोदय, अलवर को पृथक से लिखा जावे।

9. प्रत्यर्थी को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 04.06.18 पर उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजो मुताबिक बिन्दुवार निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे एवं इस निर्णय तक आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं किये जाने के संबंध में अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाजनित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

10. वहीं यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ-साथ जिला कलक्टर महोदय, अलवर को भी प्रेषित की जावे।

12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ.पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)